

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 17/07/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 16.07.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01.थाना गहमर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 16.07.2025 को उ0नि0 श्री पुष्पेश चन्द्र दूबे मय हमराहियान द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित, व रात्रि गस्त क दौरान करवनिया के डेरा के पास बहदू ग्राम सेवराई थाना गहमर जनपद गाजीपुर से अभियुक्त विकास उर्फ अरविन्द यादव पुत्र गौरीशंकर यादव निवासी ग्राम नसीरपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे एक अदद अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1.विकास उर्फ अरविन्द यादव पुत्र गौरीशंकर यादव निवासी ग्राम नसीरपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष

अपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 155/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गहमर जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 101/2024 धारा 303(2),351(3) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर

बरामदगी -

अभियुक्त01 के पास से अदद अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

02. थाना नगसर हॉल्ट पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना नगसर हॉल्ट पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय जेएम 7 गाजीपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्लू /82 सीआरपीसी के आदेश के अनुक्रम में आज दिनांक

16.07.2025 को 01 नफर अभियुक्त नगदू पुत्र हरिलाल को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा वारण्टी का नाम व पता –

1. नगदू पुत्र हरिलाल निवासी ग्राम बहादुरपुर जीवन थाना नगसर हाल्ट गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष
आराधिक इतिहास -

फौ0मु0 579/20 धारा 147/434/506/427 भादवि थाना नगसर हाल्ट गाजीपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष अभिराज सरोज मय पुलिस टीम थाना नगसर जनपद गाजीपुर

03. जनपद के कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु बनाई गई कार्ययोजना के तहत चलाया जा रहा "ऑपरेशन अंकुश"

जनपद के कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु बनाई गई कार्ययोजना के तहत "ऑपरेशन अंकुश" चलाया जा रहा है। अपराधिक गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर जनपद के टॉप 10 अपराधी अमित राय पुत्र रामप्रवेश राय निवासी ग्राम जोगा मुसाहिब थाना करीमुद्दीनपुर एवं अजय यादव पुत्र विजय यादव नि0ग्राम खिजिरपुर थाना करण्डा के ठिकानों पर नियमानुसार पर्याप्त बल के साथ कल देर रात्रि दबिश दी गई। नियमानुसार तलाशी भी ली गई। दोनों के परिजनों को कड़ी हिदायत दी गई कि उक्त अपराधी भविष्य में विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त न रहें।

विवरण –

1. आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित राय पुत्र रामप्रवेश राय निवासी ग्राम जोगा मुसाहिब थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष

1.मु0अ0सं0 548/08 धारा 401 भा0द0वि0 थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 549/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

3.मु0अ0सं0 806/08 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

4.मु0अ0सं0 388/13 धारा 386 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना भांवरकोल जिला गाजीपुर

5.मु0अ0सं0 48/15 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना भांवरकोल जिला गाजीपुर

6.मु0अ0सं0 504/15 धारा 302,120बी भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भांवरकोल जिला गाजीपुर

7.मु0अ0सं0 98/16 धारा 392/411/414 भा0द0वि0 थाना भांवरकोल जिला गाजीपुर

8.मु0अ0सं0 101/16 धारा 302,307,120बी भा0द0वि0 थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर

9.मु0अ0सं0 111/23 धारा 356,120 बी भा0द0वि0 थाना कोतवाली जिला गाजीपुर

10.मु0अ0सं0 225/17 धारा 147,148,149,307,504,506 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

11.मु0अ0सं0 300/17 धारा 323,308,352 भा0द0वि0 थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर

12.मु0अ0सं0 31/18 धारा 147,148,149,307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

13.मु0अ0सं0 37/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

14.मु0अ0सं0 97/21 धारा 307,323,504,506,45 भा0द0वि0 थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

15.मु0अ0सं0 96/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर

2. आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय यादव उर्फ घण्टू पुत्र विजय यादव नि0ग्राम खिजिरपुर थाना करण्डा गाजीपुर उम्र करीब 27 वर्ष

- 1.मु0अ0सं0 238/20 धारा 147/294/308/323/427/452/504 भादवि थाना करण्डा गाजीपुर
- 2.मु0अ0सं0 341/20 धारा 323/504/506 थाना करण्डा गाजीपुर
- 3.मु0अ0सं0 66/21 धारा 323/504/506/325 थाना करण्डा गाजीपुर
- 4.मु0अ0सं0 195/21 धारा 504/506 थाना करण्डा गाजीपुर
- 5.मु0अ0सं0 347/22 धारा /379/411/414 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैदपुर गाजीपुर
- 6.मु0अ0सं0 24/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सादात गाजीपुर
- 7.मु0अ0सं0 63/23 धारा 379 भा0द0वि0 थाना करण्डा गाजीपुर
- 8.मु0अ0सं0 78/23 धारा 411/468/471 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करण्डा गाजीपुर
- 9.मु0अ0सं0 90/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैदपुर गाजीपुर
10. मु0अ0सं0-185/2024 धारा-317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना दिलदारनगर गाजीपुर
- 11.मु0अ0सं0-243/2024 धारा-303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना खानपुर गाजीपुर
- 12.मु0अ0सं0-244/2024 धारा 303(1)/317(2)/317(4)/317(5)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना खानपुर गाजीपुर

03. 08 घण्टे के अन्दर थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा ग्राम रसूलपुर कन्धवारा से गुमशुदा बालक को तालाश कर उसके परिजनो को किया गया सुपुर्दा

थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पर आवेदिका मन्जू पत्नी सुधीर कुमार निवासी ग्राम रसूलपुर कन्धवारा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि आवेदिका का भतीजा अमित कुमार पुत्र नागेन्द्र कुमार बिन्द दिनांक 15.07.2025 स्कूल जाने के लिए सुबह निकला परन्तु वापस नहीं आया। थानाध्यक्ष नोनहरा द्वारा आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर त्वरित करते हुए, गुमशुदा अमित कुमार को सही सलामत अन्दर 08 घण्टे हरपाल रेलवे स्टेशन जनपद जौनपुर से बरामद किया गया। गुमशुदा अमित कुमार को उसके परिजनो के सकुशल सुपुर्द किया गया।

गुमशुदा बालक का नाम व पता: -

1. अमित कुमार बिन्द पुत्र नागेन्द्र बिन्द नि0ग्राम रसूलपुर कन्धारा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 14 वर्ष

04. थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 159/2025 धारा 137(2), 65(1), 87 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.07.2025 को उ0नि0 श्री गामा लाल मय हमराह थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 159/2025 धारा 137(2), 65(1), 87 बीएनएस व 5L/6 पाक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त राजन राजभर पुत्र विजय राजभर ग्राम विथरिया थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष को दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता: -

1 .राजन राजभर पुत्र विजय राजभर ग्राम विथरिया थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर ।

आपराधिक इतिहास:-

1 .मु0अ0सं0-159/25 धारा 137(2), 65(1), 87 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर।

05.“श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा । ”

दिनांक 16.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 729/2015 धारा 147, 304 पार्ट-2 /149 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त 1 .जाकिर 2 .भोला 3 .सहबाज 4 .अब्दुल पुत्रगण चश्मुदीन 5 .इन्ना उर्फ रुवी पत्नी इसहाक समस्त निवासीगण रामपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को प्रत्येक को धारा 147, भादवि में 1-1 वर्ष का साधारण कारावास , धारा 304 पार्ट-2 धारा 149 भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्तगण को 3000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, से दण्डित किया गया ।

06.

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर